

बिहार विधान सभा में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न

| | |
|--|---|
| श्रीमती पूनम देवी यादव, स0वि0स0 द्वारा दिनांक -26.12.2014 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0-पुन-07 के उत्तर के संबंध में क्या मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि | श्री नरेन्द्र नारायण यादव, प्राधिकृत मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना । |
| प्रश्न | उत्तर |
| 1. क्या यह बात सही है कि खगड़िया जिलान्तर्गत अंचल कार्यालय खगड़िया के क्रमांक -59/98-99 द्वारा मधार पंचायत में पिपड़ा ढाव से एन0एच0 31 तक 10. 08.1998 से 30.09.98 तक नाव परिचालन के लिए 29.08.1998 को परवाना निर्गत किया गया था; | स्वीकारात्मक । |
| 2. क्या यह बात सही है कि उक्त अवधि में नाव परिचालन के लिए नाव मालिक एवं कल्लाह के पारिश्रमिक का भुगतान अब तक लम्बित है; | हाँ |
| 3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार नाव मालिक एवं मल्लाह के लम्बित पारिश्रमिक का भुगतान करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ? | जिलाधिकारी, खगड़िया को जॉचोपरांत लंबित भुगतान करने का निदेश विभाग के पत्रांक -4605 दि0-24. 12.14 के द्वारा दिया गया है। |

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

ज्ञापांक-04 / वि0स0ता0प्र0-68 / 2014 / / आ0प्र0 पटना-15, दिनांक-

प्रतिलिपि-प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय, बिहार, पटना को
उनके ज्ञापांक 3992 दिनांक-17.12.2014 के क्रम में कुल 05 (पाँच) प्रतियों में/उप सचिव, संसदीय
कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(सुनील कुमार)

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-04 / वि0स0ता0प्र0-68 / 2014 /⁵¹² / आ0प्र0 पटना-15, दिनांक- 6/2/15

प्रतिलिपि-सुश्री कविता कुमारी, आई0टी0 मैनेजर/श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह, कम्प्यूटर
ऑपरेटर, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को इसे विभागीय वेबसाईट पर शीघ्र अपलोड करने
हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव